महत्वपूर्ण

संख्या-2803/86-2017-57(सामान्य)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017

विषयः प्रदेश में उपखनिजों के परिवहन पर प्रभावी निगरानी हेतु कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (43वॉ संशोधन) के नियम-35(2) में उपखनिजों के परिवहन की निगरानी के लिये खनन पट्टा क्षेत्र पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर आदि लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

नियम-35(2) "खनन पट्टाधारक जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हे0 से अधिक है परिवहन की निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिग उपलब्ध करायेगा।"

2. पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा उपखनिजों के परिवहन की निगरानी सम्बन्धी उक्त प्राविधानों का उल्लघंन किये जाने की दशा में शास्ति आरोपण हेतु नियमावली के नियम-59 के उपनियम-(3) में निम्नवत् प्राविधान भी किया गया है:-

नियम-59(3) "यदि पट्टाधारक नियम-35 के उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्ग्रहित की जायेगी। ऐसी उद्ग्रहित शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा। "

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के सन्दर्भित प्राविधानों के अन्तर्गत उपखनिजों के परिवहन की प्रभावी निगरानी रखने हेतु खनन क्षेत्र पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने, चेक पोस्ट/गेट के निर्माण, उस पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर स्थापित करने, उसकी रिकार्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखने तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यथासमय उसे उपलब्ध कराने आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक पट्टेदार/अनुज्ञा-पत्र धारक को तत्काल निदेशित करने का कष्ट करें कि एक माह के अन्दर उनके द्वारा खनन क्षेत्र पर उक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

मुझे यह भी कहना है कि पट्टेदार/अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में उनके विरूद्ध उक्त नियम-59 के उपनियम-(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में खनन पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कराकर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अपनी सुस्पष्ट आख्या संस्तुति सहित निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा उक्तानुसार प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट/आख्या के परीक्षणोपरान्त अपनी आख्या संस्तुति सहित यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/86-2017, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/